सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 34 दर्ज तिथिः—30.01.2025

1. पूनमाराम पुत्र विशनाराम
   जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

......................प्रार्थी

बनाम

1. चिमाराम पुत्र रामाराम
2. रेखाराम पुत्र रामाराम
3. रामाराम पुत्र तेजाराम
4. सताराम पुत्र रामाराम
5. दलाराम पुत्र चिमाराम
6. अचलाराम पुत्र जीवणराम
7. अमराराम पुत्र देवाराम
8. जुगताराम पुत्र देवाराम
9. जेठीदेवी पत्नी देवाराम
10. जसाराम पुत्र देवाराम
11. तिलाराम पुत्र देवाराम
12. मगनाराम पुत्र देवाराम
13. लक्ष्मणराम पुत्र देवाराम
14. अजमालराम पुत्र जोगाराम
15. अनीता पुत्री अजमालराम
16. देवाराम पुत्र जोगाराम
17. नरेश कुमार पुत्र अजमालराम
18. प्रियंका पुत्री देवाराम
19. रूपो पुत्री देवाराम
20. सत्यपाल पुत्र देवाराम
21. सरोज पुत्री देवाराम
22. जोगाराम पुत्र डालूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

23. प्रकाश चौधरी पुत्र मूलाराम
24. मुकमनाराम पुत्र बींजाराम
25. लाली पत्नी मूलाराम
26. वेहनीदेवी पत्नी बींजाराम
27. पीराराम पुत्र किसनाराम
28. कुंभाराम पुत्र किसनाराम
29. जसाराम पुत्र मुकनाराम
30. दलीदेवी पत्नी मुकनाराम
31. पूनमाराम पुत्र करनाराम
32. लिखमाराम पुत्र मुकनाराम
33. हीराराम पुत्र मुकनाराम
34. केहरी पत्नी नानगाराम
35. जसाराम पुत्र नानगाराम
36. भैराराम पुत्र नानगाराम
37. भलाराम पुत्र नानगाराम
38. उमीदेवी पत्नी गोमाराम
39. गोमाराम पुत्र चैनाराम
40. डालूराम पुत्र चैनाराम
41. दुर्गाराम पुत्र भोपाराम
42. पेमाराम पुत्र भोपाराम
43. लालीदेवी पत्नी डालूराम
44. हिमताराम पुत्र भोपाराम
    जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालों की ढाणी निम्बलकोट
45. ईशराराम पुत्र खेराजराम
46. तुलसीदेवी पत्नी खेराजराम
47. थानाराम पुत्र खेराजराम
48. भूराराम पुत्र खेराजराम
49. रूपाराम पुत्र खेराजराम
50. सताराम पुत्र खेराजराम
51. हीरोदेवी पत्नी खेराजराम
52. आदूराम पुत्र मोबताराम
53. खेताराम पुत्र मोबताराम
54. चेनाराम पुत्र मोबताराम
55. जेठाराम पुत्र मोबताराम
56. जीयाराम पुत्र मोबताराम
57. रूपाराम पुत्र मोबताराम
58. वेहनाराम पुत्र मोबताराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

59. पीराराम पुत्र रामाराम
60. रणछाराम पुत्र दुदाराम
61. रामाराम पुत्र दुदाराम
62. हीराराम पुत्र दुदाराम
    जाति जाट निवासी सड़ेचा तहसील नोखड़ा
63. किशनाराम पुत्र बुधराराम
64. केसीदेवी पत्नी जोगाराम
65. खेताराम पुत्र भानाराम
66. खेमाराम पुत्र भानाराम
67. चतरूदेवी पत्नी खरताराम
68. जसराज पुत्र भानाराम
69. जसाराम पुत्र भानाराम
70. थानाराम पुत्र भानाराम
71. दलाराम पुत्र जोगाराम
72. पूनमीदेवी पत्नी जोगाराम
73. भोमाराम पुत्र खरताराम
74. रावताराम पुत्र खरताराम
75. शेम्भूराम पुत्र भानाराम
76. केसाराम दत्तक पुत्र डालूराम
77. रामाराम पुत्र तेजाराम
    जाति जाट निवासी निम्बलकोट तहसील नोखड़ा
78. अणसीदेवी पत्नी पुरखाराम
79. देवाराम पुत्र पुरखाराम
80. रामाराम पुत्र पुरखाराम
81. बाबूदेवी पुत्री मूलाराम
82. डूंगराराम पुत्र आदाराम
83. अमरू पत्नी देदाराम
84. बांकाराम पुत्र देदाराम
85. राणीदेवी पत्नी भेराराम
    जाति राईका निवासी सड़ेचा तहसील नोखड़ा
86. अणदाराम पुत्र खेताराम
87. मांगीदेवी पत्नी खेताराम
88. अशोक पुत्र रूगाराम
89. चेनीदेवी पत्नी गंगाराम
90. पुखराज पुत्र रूगाराम
91. भंवरलाल पुत्र मुकनाराम
    जाति सुनार निवासी सड़ेचा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

92. इब्राहिम खान पुत्र अमीर खां
93. इस्लाम खान पुत्र अमीर खां
94. करीमदाद पुत्र शुभान खां
95. खमीशा खान पुत्र अमीर खां
96. धना पुत्र शुभान खां
97. भलू खां पुत्र अलीम खां
98. मलूक खां पुत्र इस्माइल खां
99. मीरखान पुत्र अमीर खां
100. रमदान पुत्र शुभान खां

जाति मुसलमान निवासी पनोणी धतरवालों की ढाणी निम्बलकोट

101. हबीबखान पुत्र बच्चाखान
102. हयात खान पुत्र बच्चाखान
103. असकरअली पुत्र शौकतअली
104. कासमअली पुत्र शौकत अली नाबालिग संरक्षक शोकतअली
105. गुलामअली पुत्र शौकतअली
106. नूरी पत्नी कासुखान
107. मजीद पुत्र रमदान
108. मठार पुत्र विलाल
109. मोमद पुत्र आरब
110. सकूर पुत्र रमदान
111. सूमार पुत्र रमदान
112. हुसेन पुत्र कासु खान
113. हाकम पुत्र कासुखान
114. हासन खां पुत्र कासु खान

जाति मुसलमान निवासी सड़ेचा तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

115. ग्राम पंचायत निम्बलकोट जरिये सरपंच
116. तहसीलदार नोखड़ा
117. गणपतराम पुत्र ओमप्रकाश
118. भंवरीदेवी पत्नी ओमप्रकाश
119. रूपाराम पुत्र ओमप्रकाश

जाति सोनी निवासी सड़ेचा

120. ओपा पुत्र सागर
121. हीरा पुत्र सागर
122. लूम्बाराम पुत्र बांकाराम

जाति जाट निवासी पनोणी धतरवालों की ढाणी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

पूनमाराम बनाम चिमाराम
2025 / 34
निर्णय दिनांकः—28.03.2025

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री डालुराम चौधरी।
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 105 / 5 / 2.4270 है0, 113 / 2.1924 है0, 283 / 1.8364 है0, 342 / 261 / 1.2217 है0 मौजा पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार हल्का निम्बलकोट, आराजी खसरा संख्या 42 / 5.8248 है0, 43 / 3 / 7.3215 है0 मौजा सड़ेचा पटवार हल्का निम्बलकोट एवं आराजी खसरा संख्या 86 / 1 / 2.9124 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार नोखड़ा के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेशांक दिनांक 10.12.2024 की पालना में पटवारी हल्का निम्बलकोट द्वारा दिनांक 15.12.2024, 16.12.2024 एवं 17.12.2024 द्वारा मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 15.12.2024, 16.12.2024 एवं 17.12.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 15.12.2024, 16.12.2024 एवं 17.12.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076—2079 वाके ग्राम सड़ेचा, पनोणी धतरवालों की ढाणी एवं निम्बलकोट तहसील नोखड़ा में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम सड़ेचा, पनोणी धतरवालों की ढाणी एवं निम्बलकोट के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 15.12. 2024, 16.12.2024 एवं 17.12.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नोखड़ा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 105 / 5 / 2.4270 है0, 113 / 2.1924 है0, 283 / 1.8364 है0, 342 / 261 / 1.2217 है0 मौजा पनोणी धतरवालों की ढाणी पटवार हल्का निम्बलकोट, आराजी खसरा संख्या 42 / 5.8248 है0, 43 / 3 / 7.3215 है0 मौजा सड़ेचा पटवार हल्का निम्बलकोट एवं आराजी खसरा संख्या 86 / 1 / 2.9124 है0 मौजा निम्बलकोट तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर सक्षम न्यायालय के स्थगन के अध्यधीन रहते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढ़ामालानी (बाड़मेर)

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.04.02 16:40:24 IST
Reason: SelfAttested